मास्टर परिपत्र

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के लिए
शाखा - लाइसेंसीकरण

ग्रामीण आयो ना और ऋण विभाग

भारतीय रिज़र्व ैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुं ई

मास्टर परिपत्र भारि ैं की वे ासाइट www.mastercircular.rbi.org.in से
देखा और डाउनलोड किया ा सकता ै ।

विषय

1. विधिक (कानूनी) अपेक्षाएँ

1.1 शाखा लाइसेंसीकरण पर सामान्य नीति

1.2 नई शाखाएँ खोलने ेतु शर्तें

2. शाखाएँ /सेवा शाखाएँ /अनुषंगी कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय / एरिया कार्यालय खोलना

2.1 ग्रामीण/अर्ध श-री/श-री और म-ानगरीय केन्द्रों में शाखाएं

2.2 रा य/केंद्रीय सरकार के कारोबार करने हेतु अपेक्षाएँ

2.3 नियंत्रक कार्यालय / एरिया कार्यालय खोलना

2.4 प्राधिकार और लाइसेंसों की वैधता

3 शाखाओं का स्थान परिवर्तन

3.1 ग्रामीण केन्द्रों में - लॉक और सेवा क्षेत्र के भीतर

3.2 अर्ध श-री केन्द्र

3.3 श-री / म-ानगरीय केन्द्र

3.4 प्रक्रियागत सरलीकरण

4. पूर्ण शाखाओं का अनुषंगी/ ालते-फिरते कार्यालयों में परिवर्तन

4.1 अनुषंगी कार्यालय

4.2 ालते-फिरते कार्यालय

5. विस्तार काउन्टर खोलना

6. विस्तार काउन्टरों का पूर्ण शाखाओं के रुप में उन्नयन

7. स्व ालित टैलर मशीनें (एटीएम)

8. केन्द्रों का वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण

9. ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक, ो सेवा क्षेत्र दायित्व से मुक्त -ैं

10. ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक, ो सेवा क्षेत्र दायित्व से मुक्त न-ीं -ै

11. शाखा ैंकिंग पर विवरणियों की प्रस्तुति

अनु ंध I

अनु ंध II

अनु ंध III

परिशिष्ट

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र

1. विधिक (कानूनी) अपेक्षाएँ

ैंकों द्वारा शाखाएं खोलने का कार्य ैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 23 के उप ंधों से शासित ै । इन उप ंधों के अनुसार, ैंक भारतीय रिज़र्व ैंक के पूर्व अनुमोदन के ि ना भारत में अथवा विदेश में कारो ार का नया स्थान न-ीं खोल सकते ैं और न -ी कारो ार के मौ ूदा स्थान को उसी श-र, कस्ो या गांव को छोड़कर अन्यत्र ले ा सकते ैं । **इस प्रकार शाखाएं / कार्यालय खोलने से प-ले क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को ग्रामीण आयो ना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व ैंक का पूर्व अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य ै ।**

1.1 क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के सं ंध में शाखा लाइसेंसीकरण सं ंधी सामान्य नीति

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के निदेशक मंडल से अपेक्षा की ाती ै कि वे वार्षिक कारो ार यो ना एवं नये केन्द्रों पर (शाखाएं खोलने के लिए) कारो ार की संभावनाओं, प्रस्तावित शाखाओं की लाभप्रदता, ि न मामलों में अतिरिक्त स्टाफ प- ाना गया -ो व-ं उसके पुनर्नियो न और ैंक के ग्रा-कों को तत्परता से और कम ख र्ीली ग्रा-क सेवा प्रदान करने ैसी ातों को ध्यान में रखते ुए नयी शाखाएं खोलने के लिए नीति और कार्य यो ना ायें ।

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को शाखाएँ / कार्यालय इत्यादि खोलने / विलयन / स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन करने से प-ले अपने निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना ाि-ए । शाखाएं खोलने / उनका स्थान ादलने और उनके विलय का प्रस्ताव ैंककारी कंपनी नियम, 1949 (परिशिष्ट - I) के फार्म VI (नियम 12) में निर्धारित आवेदन के साथ ना ार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे ि सकी अग्रिम प्रति रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी । रिज़र्व बैंक द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु अधिकार प्राप्त समितियाँ ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करके अपनी सिफारिशें देंगी । रिज़र्व बैंक अधिकारप्राप्त समितियों की सिफारिशों पर वि ार करते हुए ऐसे आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा ।

प्रायो ाक बैंक के अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । साथ ही, ि ला परामर्शदात्री समिति के उप समूह का अनुमोदन भी नई शाखाएँ खोलने के लिए आवश्यक नहीं होगा । तथापि, शाखाओं के स्थान परिवर्तन / विलयन / परिवर्तन के लिए ि ला परामर्शदात्री समिति के उप समूह के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

1.2 नई शाखाएं खोलने की शर्तें

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक को नई शाखाएँ खोलने के लिए पात्रता ेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी ोंगी :-

i) उसने प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक ालनिधि अनुपात के बनाए रखने में पिछले दो वर्षों में ूक न-ीं की ो । तथापि, ूक की गंभीरता को देखते हुए अधिकार प्रदत्त समिति शाखा / शाखाएं खोलने के प्रस्ताव को अस्वीकृत या स्वीकृत करने के बारे में निर्णय ले सकती है ।
ii) उसने ना ार्ड द्वारा पिछले निरीक्षण में निर्दिष्ट अधिकांश ाड़ी अनियमितताओं को सुधार लिया ो ।
iii) उसका सकल अन कि आस्तियों का स्तर क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के राष्ट्रीय औसत से अधिक न ो ।
iv) पिछले दो वर्षों में ैंक ने लाभ अ ित किया ो । ानि वाले क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के मामले में, सं ंधित क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक को यह बताना होगा कि प्रस्तावित शाखा ानि कम करने में किस तरह सहायक होगी । ।
v) प्रस्तावित शाखा / शाखाओं को ालाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक सामान्यतः नए स्टाफ की भर्ती नहीं करेगा ।

2. शाखाएं / नियंत्रक कार्यालय /एरिया कार्यालय खोलना

2.1 ग्रामीण / अर्ध श-री / श-री और म-ानगरीय केन्द्रों में शाखाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक प्रस्तावित शाखाओं में कारो ार की संभावनाओं और लाभप्रदता के आधार पर शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण केन्द्रों (दस - ार तक ानसंख्या), अर्ध श-री केन्द्रों (दस - ार से अधिक किन्तु एक लाख तक ानसंख्या) श-री केन्द्रों (एक लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक ानसंख्या) और म-ानगरीय केन्द्रों (10 लाख से अधिक की ानसंख्या) की प- ान कर सकते ैं ।

टिप्पणी : ऊपर उल्लिखित ानसंख्या का मानदंड केन्द्र (रा स्व इकाई आधार ोगा, न कि अवस्थिति) की ानगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ोगा ।

शाखाएं खोलने के लिए ैंकों से प्राप्त अनुरोध पर भारतीय रिज़र्व ैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण दोष पर वि ार करते ुए और क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक की समग्र वित्तीय स्थिति, उसके प्र ंध-तंत्र की गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की दक्षता, लाभप्रदता तथा अन्य प्रासंगिक ातों को ध्यान में रखते ुए ायनित रुप से वि ार किया ाएगा ।

2.2 सेवा शाखा खोलना

डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावे ों का सत्यापन और उनकी प्रोसेसिंग, ोक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि ारी करना ैसे केवल बैक ऑफिस कार्य तथा उनके बैंकिंग कारोबार से अनुषंगिक कार्य करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा शाखाएं / केन्द्रीय प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपी) / बैक ऑफिस स्थापित करने की अनुमति दी ाए । ये शाखाएं ग्राहकों से रुबरु नहीं होगी और इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखंओं मे परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होगी । इन शाखाओं को किसी शाखा के समान मान ाएगा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरपीसीडी) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

2.3 रा य /केन्द्रीय सरकार के कारो ार करने ेतु अपेक्षाएँ

यदि कोई शाखा सरकारी कारो ार करना ा-ती ै तो उसे सं ंधित सरकारी प्राधिकरण के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व ैंक का पूर्व अनुमोदन लेना -ोगा । क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक को रा य सरकार का कारो ार करने के लिए उस क्षेत्राधिकार में आने वाले भारतीय रि .र्व ैंक के क्षेत्रीय निदेशक से तथा केन्द्र सरकार का कारो ार करने के सं ंध में सरकारी और ैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व ैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्ाई से सम्पर्क करना -ोगा ।

2.4 नियंत्रक कार्यालय / एरिया कार्यालय खोलना

सितंबर 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया के बाद अभी तक बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन हो ुका है । इसके फलस्वरुप, समामेलन के कारण अब नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गए हैं और पुराने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक िनका समामेलन नहीं किया गया है । 75 शाखाओं वाले **समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** को प्रत्येक 50 शाखाओं के लिए एक **नियंत्रक कार्यालय** के अनुपात में नियंत्रक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी । **50 से अधिक शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों (िनका समामेलन नहीं हुआ है)** को प्रत्येक 25 शाखाओं के लिए एक एरिया कार्यालय के अनुपात में एरिया कार्यालय खोलने की अनुमति ै । एरिया कार्यालयों / नियंत्रक कार्यालयों को ैंकिंग कारो ार करने की अनुमति न-ीं ै । तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों से अपेक्षा की ाती ै कि वे ऐसा कार्यालय खोलने से प-ले भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त कर लें । क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक भारतीय रिज़र्व ैंक के अनुमोदन के िना स्वविवेक से इन कार्यालयों का स्थान परिवर्तन कर सकते ै अथवा इन्हें ान्द कर सकते ै / इनका समामेलन कर सकते हैं । लेकिन उन्हें य-सुनिश्ि ात करना -ोगा कि भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) को लाइसेंस शीघ्रातिशीघ्र , लेकिन स्थान परिवर्तन की तारीख से 3 मा- के भीतर, प्रस्तुत किया ाए ताकि उसमें नया पता ोड़ा ा सके । ऐसे कार्यालयों के विलय के सं ंध में कार्यालय के विलय -ोने के तुरन्त ाद लाइसेंस भारतीय रिज़र्व ैंक के ग्राआऋवि के सं ंधित क्षेत्रीय

कार्यालय को निरसन के लिए सौंप देना ाहि-ए तथा भारतीय रिज़र्व ैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग को इसकी सू ाना देना ाहि-ए ।

2.5 प्राधिकारों और लाइसेंसों की वैधता

वर्तमान में, क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को शाखाएँ खोलने के लिए प्राधिकार देने का कार्य उनसे प्राप्त अनुरोध पर (ना ार्ड के माध्यम से) प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर किया ाता ै । इन प्राधिकारों का उपयोग शीघ्रता से किया ाना सुनिश्ि ात करने तथा शाखा की वास्तविक रुप से स्थापना करने के उद्देश्य से य- निर्णय किया गया ै कि प्राधिकार की वैधता की अधिकतम सीमा 2 वर्ष रखी ाए ।

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों से अपेक्षा की ाती ै कि वे भारतीय रिज़र्व ैंक (ग्राआऋवि) के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय से कार्यालय / शाखा खोलने से प-ले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें । ऐसा पाया गया ै कि कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक लाइसेंस तो ले लेते ैं लेकिन पर्याप्त समय ीत ाने के ाद भी शाखा न-ीं खोलते ैं और ार- ार लाइसेंस के पुनः वैधीकरण ेतु क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करते ैं । अतः क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक, कार्यालय / शाखा खोलने ेतु मूलभूत तैयारी के ाद ी लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करें ।

साथ ी, क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक अकसर उस गली / मार्ग का नाम परिवर्तित ोने पर, ा-ाँ व- शाखा स्थित ै, शाखा के नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन के लिए सम्पर्क करते ैं । ूंकि शाखा के स्थित ोने के स्थान में कोई परिवर्तन न-ीं ुआ ै, अतः ैंकों को ऐसे मामले में लाइसेंस में सुधार करने के लिए अनुरोध अथवा सम्पर्क करने की आवश्यकता न-ीं ै परन्तु वे भारतीय रिज़र्व ैंक (ग्राआऋवि) के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय और डेसाक्स, मुम्ाई को इस परिवर्तन से अवगत करा दें । तालुक / िले के नाम में परिवर्तन ोने अथवा िलों के पुनर्गठन अथवा नए रा यों के ाने से भी परिवर्तन ो सकते ैं । ऐसी स्थितियों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को सं ंधित लाइसेंस क्षेत्रीय कार्यालय को भे ाने की आवश्यकता न-ीं ै, वे सरकार की अधिसू ाना के आधार पर भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय और डेसाक्स, मुम्ाई को सू ित करते ुए, नए नाम अपना सकते ैं ।

यदि नाम में कोई परिवर्तन इस आशय से किया ाना ै कि उसी स्थान पर एक ी नाम की विभिन्न ैंकों की शाखाओं में ोने वाले भ्रम को दूर किया ा सके अथवा किन्ीं अन्य न्यायोि ात स्थितियों में नाम में परिवर्तन किया ाना ो तो ऐसे अनुरोध भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भे ो ाएँ और ऐसे अनुरोध भे ाते समय सं ंधित लाइसेंस और अग्रेषण पत्र भी साथ भे ो ाएँ ।

3. शाखाओं का स्थान ादलना

3.1 ग्रामीण केन्द्रों पर - खंड और सेवा क्षेत्र के भीतर

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक ग्रामीण केन्द्रों में शाखाओं का स्थान ादलने का कार्य रिज़र्व ैंक के पूर्व अनुमोदन के िना कर सकते ैं, ो निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन पर निर्भर -ोगा :

- मौ ूदा और प्रस्तावित दोनों केन्द्र उसी खंड (लॉक) और शाखा के सेवा क्षेत्र में -ोने ाि-ए ।
- य- सुनिश्ि ात किया ाना ाि-ए कि नये स्थान पर शाखा उन गांवों की ैंकिंग आवश्यकताओं को पर्याप्त रुप से पूरा कर सकेगी ो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आ ंटित किये गये ैं ।

3.2 अर्ध श-री केंद्रों पर

यदि अर्ध श-री केंद्रों पर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों की शाखाओं को सेवा क्षेत्र आ ंटित किया गया -ो तो अर्धश-री केंद्रों की शाखाओं के स्थान ादलने के लिए व-ी मानदंड लागू -ोंगे ो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शाखाओं पर लागू -ोते ैं । ा-ं कोई सेवा क्षेत्र आ ंटित न किया गया -ो व-ं क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक भारतीय रिज़र्व ैंक के पूर्व अनुमोदन के िना उसी अवस्थिति (लोकेलिटी) / नगरपालिका वार्ड के अंदर -ी स्थान ादल सकते ैं । तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को य- सुनिश्ि ात करना -ोगा कि स्थान ादलने के कारण व- लोकेलिटी / वार्ड ैंक सेवारि-त न -ो ाये ।

3.3 श-री / म-ानगरीय केंद्रों पर

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक श-री / म-ानगरीय केंद्रों पर स्थित अपनी शाखाओं का भारतीय रिज़र्व ैंक के पूर्व अनुमोदन के िना उसी अवस्थिति (लोकेलिटी) / नगरपालिका वार्ड के अन्दर -ी स्थान ादल सकते ैं ।

अर्ध श-री / श-री / म-ानगरीय केन्द्रों में अवस्थिति / म्युनिसिपल वार्ड से ाि-र शाखाओं का स्थान ादलने के सं ंध में, क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग) से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना -ोगा ।

3.4 प्रक्रियागत सरलीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार शाखाओं का स्थान परिवर्तन कर सकते ैं (पैरा 3.1 से 3.3 तक) लेकिन वे य- सुनिश्ि ात करें कि लाइसेंस में नया पता सम्मिलित करने के

लिए लाइसेंस भारतीय रिज़र्व ैंक के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) को शीघ्रातिशीघ्र, लेकिन शाखा के स्थान परिवर्तन की तारीख से तीन मा- के अंदर, प्रस्तुत किया ाता ै ।

4. पूर्ण शाखाओं का अनुषंगी / ालते फिरते कार्यालयों में परिवर्तन

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक ग्रामीण केन्द्रों में अपनी -ानि वाली वर्तमान शाखाओं को अनुषंगी (सैटेलाइट) / ालते फिरते कार्यालय में परिवर्तित करने की ारुरत पर लागत-लाभ प-लू, विद्यमान ग्रा-कों को -ोनेवाली असुविधाओं, िला ऋण यो ना तैयार करने में कार्यनिष्पादन पर परिवर्तन के प्रभाव तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने ैसी ातों को ध्यान में रखकर स्वयं निर्णय लें ।

4.1 अनुषंगी कार्यालय

अनुषंगी कार्यालय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना ाि-ए ।

(क) आसपास के गांवों में निश्ि ात परिसरों में अनुषंगी कार्यालय स्थापित किये ाने ाि-ए और उन्ें केन्द्रीय गांव/खंड मुख्यालयों में स्थित आधार शाखा से नियंत्रित और परि ालित किया ाना ाि-ए ।

(ख) प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय को सप्ता- में कुछ निर्दिष्ट दिनों में (कम से कम दो ार) निर्दिष्ट घंटों के लिए कार्य करना ाि-ए ।

(ग) इन कार्यालयों में सभी प्रकार के ैंकिंग लेनदेन किये ाने ाि-ए ।

(घ) अनुषंगी कार्यालयों के ग्रा-कों को आधार शाखा में ऐसे कार्यालयों के गैर-परि ालन दिनों में कारो ार करने की अनुमति दी ानी ाि-ए ।

(ड़) यद्यपि प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय के लिए अलग ले ार/र ि स्टर/स्क्रोल रखे ा सकते ैं, इन कार्यालयों में किये ानेवाले सभी लेनदेन आधार शाखा की खाता ा-यों में शामिल किये ाने ाि-ए ।

(ा) आधार शाखा से सं ाध्द स्टाफ, िसमें अधिमानतः पर्यवेक्षी स्टाफ का एक सदस्य, कैशियर एवं लिपिक तथा एक सशस्त्र गार्ड शामिल -ों, अनुषंगी कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया ाये ।

(छ) फर्नी ार, मार्गस्थ नकदी के ीमा आदि की पर्याप्त व्यवस्था -ो ।

ग्रामीण क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में शाखाओं के अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तन की अनुमति न-ीं ै ।

4.2 ालते -फिरते कार्यालय

ालते-फिरते कार्यालयों की यो ाना की परिकल्पना में पूर्णतः संरक्षित वैन के माध्यम से ैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना ै, िासमें ैंक के दो या तीन अधिकारियों के ैठने तथा उनके साथ ाि-यों, नकदी वाली सेफ आदि की व्यवस्था -ो । ालता-फिरता यूनिट सेवा के लिए प्रस्तावित स्थानों पर कतिपय निर्दिष्ट दिनों / घंटों के लिए ाायेगा । ालता-फिरता कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक की किसी शाखा के साथ सं ाध्द -ोगा । ालते-फिरते कार्यालय को उन ग्रामीण स्थानों में **न-ीं** ाना ाि-ए िनमें स-कारी ैंक सेवा प्रदान कर र-े ै और ि ान स्थानों में वाणि य ैंक कार्यालयों की नियमित सेवाएं उपल ध ै ।

5. विस्तार काउंटर खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक उन संस्थाओं के परिसर में विस्तार काउंटर खोल सकते ै, ि ानके वे प्रधान ैंकर ै, परन्तु इस प्रयो ान के लिए उन्-ें प-ले भारतीय रिज़र्व ैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) से लाइसेंस प्राप्त करना -ोगा ।

विस्तार काउंटर क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के मुख्य कार्यालयों और ाड़े कार्यालयें/फैक्ट्रियों, अस्पतालों, सैन्य यूनिटों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के परिसरों में खोले ाा सकते ै, ा-ं ऐसे स्टाफ / कामगारों, विद्यार्थियों का ाड़ा वर्ग ै ि ानके लिए अपने एक ैसे कार्य के घंटे -ोने और उि ात दूरी तक ैंकिंग सुविधाएं उपल ध न -ोने के कारण अपने ैंकिंग लेनदेन करना कठिन -ो । विस्तार काउंटरों को सीमित स्वरुप के ैकिंग कारो ाार करने ाि-ए, ैसे

- ामा / आ-रण लेन-देन
- ड्राफ्ट ाारी करना और भुनाना तथा डाक अंतरण
- यात्री ोक ाारी करना और भुनाना
- गिफ्ट ोकों की ि क्री
- ि लों की उगा-ी
- अपने ग्रा-कों की सावधि ामाराशियों पर अग्रिम (ो विस्तार काउंटर के सं ंधित अधिकारी को प्राप्त मं ूरी देने की शक्ति के भीतर -ो)
- सुरक्षा ामा लॉकर सुविधा (ाशर्ते पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गयी -ों)

साथ -ी, यदि विस्तार काउंटर का सरकारी कारो ाार करने का प्रस्ताव ै तो इसके लिए सं ंधित सरकारी प्राधिकारी तथा भारतीय रिज़र्व ैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित -ोगा ैसा कि ऊपर पैरा 2.2 में वि-ित ै ।

आवासीय कॉलोनियों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों, ा ार के स्थानों तथा पू ा स्थलों आदि में विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति न-ीं ै ।

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को विस्तार काउंटर खोलने से प-ले लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अनु ंध II में दिये गये फार्मेट के भाग I और II में प्रस्तावित विस्तार काउंटरों का योरा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग) को प्रस्तुत करना ाि-ए ।

6. विस्तार काउंटरों का पूर्ण शाखाओं के रुप में द र्ा ा.ाना

6.1 ैंकों को विस्तार काउंटरों का पूर्ण शाखाओं के रुप में द र्ा ा.ाने के लिए भारतीय रिज़र्व ैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना ाि-ए । प्रस्तावों पर वि ार निम्नलिखित शर्तें पूरी -ोने पर किया ाता ै :

- विस्तार काउंटर कम से कम पां ा वर्ष से कार्य कर र-ा -ो ।
- पिछले एक वर्ष के दौरान ामा खातों की संख्या 2000 से ऊपर गयी -ो ,
- पिछले तीन वर्षों की औसत ामाराशि (अर्थात् मासिक आधार पर) 2 करोड़ रुपये से कम न -ो ।

6.2 ि न प्रस्तावों में उपर्युक्त शर्तों में से कोई शर्त पूर्णतः पूरी न-ीं की गयी -ो, परन्तु व- सं ंधित विस्तार काउंटर शाखा के रुप में अन्यथा परिवर्तन योग्य -ो गयी -ो, तो ऐसे मामलों के सं ंध में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर वि ार किया ायेगा ।

7 स्व ालित टेलर मशीन (एटीएम)

7.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी शाखाओं तथा विस्तार काउंटरों, ि सके लिए उनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ारी लाइसेंस हैं, पर एटीएम लगाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । तथापि, ाब भी किसी शाखा या विस्तार काउंटर पर एटीएम लगाया ाता है तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) तथा सांख्यिकीय विश्लेषण कंप्यूटर सेवा विभाग को रिपोर्ट करना ाहिए ।

7.2 यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने परि ालन क्षेत्र में ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना ाहता हो तो वह उसकी लागत और लाभ का मूल्यांकन करके ऐसा कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे एटीएम खोले ाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (ग्राआऋवि) को तुरंत सू ित करना ाहिए ताकि कारोबार स्थान हेतु औप ारिक प्राधिकार प्राप्त किया ा सके ।

8 केंद्रों का वर्गीकरण / पुन:वर्गीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को य- सू ित किया ाता ै कि वे ि िन केन्द्रों के ानसंख्या समू- वर्गीकरण के ारे में आश्वस्त न-ीं ैं उनके ारे में नयी शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग से संपर्क करने से प-ले, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व ैंक, ैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, ांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुं ई 400 051 से उक्त वर्गीकरण को सुनिश्ि ात कर लें । केंद्रों के पुनः वर्गीकरण के सं ंध में कोई प्रश्न -ो तो व- भी क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा परिवर्तन के समर्थन में सं ंधित दस्तावे ों, ैसे रा ापत्र की अधिसू ाना, आदि सि-त सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भे ा ाना ाि-ए ।

9 ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक, ो सेवा क्षेत्र दायित्व से मुक्त ैं

ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को, ो वर्तमान में सेवा क्षेत्र दायित्व से मुक्त ैं, आम तौर पर नयी शाखाएं खोलने की अनुमति न-ीं ै । तथापि, व- तालुका / खंड मुख्यालयों, गांव के ाज़ारों, मंडियों, कृषि उत्पाद केंद्रों या इसी तर- के केन्द्रों (इसके ाद 'निर्दिष्ट केन्द्र' के रुप में उल्लिखित) में, अधिमानतः एक -ी खंड में, अपनी -ानिवाली शाखाओं का स्थान पुनः निर्धारित कर सकते ैं । इसके विकल्प के रुप में वे अपनी -ानिवाली शाखाओं को अनुषंगी / ालते-फिरते कार्यालयों में परिवर्तित कर सकते ैं । साथ -ी, ा-ं किसी क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक की दो -ानिवाली शाखाएं एक-दूसरे के समीप ैं (अर्थात् लगभग 5 कि.मी. की दूरी के भीतर) व-ं वे दोनों शाखाओं के विलय के ारे में वि ार कर सकते ैं ।

10 ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक ो सेवा क्षेत्र दायित्व से मुक्त न-ीं ैं

(ii) ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक, ि न्हें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन करना ै, अपने सेवा क्षेत्र के भीतर -ी निर्दिष्ट केन्द्रों की अपनी -ानिवाली शाखाओं का स्थान पुनः निर्धारित कर सकते ैं या -ानिवाली शाखाओं को अनुषंगी / ालते -फिरते कार्यालयों में परिवर्तित करने पर वि ार कर सकते ैं, ाशर्ते इस प्रकार के परिवर्तन से सेवा क्षेत्र दायित्वों का निरंतर कार्यनिष्पादन प्रभावित न -ो ।

(ii) साथ -ी, यदि भौगोलिक रुप से समीपवर्ती सेवा क्षेत्र में लगभग 5 कि.मी. की दूरी के भीतर उसी क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक की दूसरी शाखा कार्यरत -ो, तो वे क्षेत्रीय ग्रामीण ैंक स्थानिक फैलाव को युक्तिसंगत ानाने तथा स्थापना/परि ालन ख र्ा कम करने के उद्देश्य से दोनों शाखाओं के विलयन पर वि ार कर सकते ैं ।

(iii) भारतीय रिज़र्व ैंक ायनात्मक आधार पर, क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों द्वारा अपने परि ालन क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट केन्द्रों में नयी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव पर वि ार कर सकता ै, ाशर्ते कि वे पैरा 1.2 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते -ों ।

11. शाखा ैंकिंग के सं ंध में विवरणियां प्रस्तुत करना

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों के लिए कारो ार का स्थान खोलने के तुरंत ाद, उसके खोलने की तारीख और कार्यालय / शाखा का ठीक पता, केन्द्रीय कार्यालय तथा ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सू ित करना आवश्यक ै ।

(ii) ैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949 के नियम 13 के अनुसार ैंकों के लिए य- आवश्यक ै कि वे प्रत्येक तिमा-ी की समाप्ति के एक म-ीने के भीतर फार्म VII में भारत में अपने कार्यालयों से सं ंधित सू ी भारतीय रिज़र्व ैंक के उस रा य में स्थित कार्यालय को प्रस्तुत करें ा-ं उनका प्रधान कार्यालय ै ।

(iii) साथ -ी, क्षेत्रीय ग्रामीण ैंकों को दिनांक 6 ुलाई 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआर ी. ीसी. 10/03.05.90ए/2005-06 (भारि ैं/2005-06/46) में सू ित किए अनुसार अनु ंध III में दिये गये प्रोफार्मा में तिमा-ी के दौरान खोले गये नये कार्यालयों / शाखाओं तथा वर्तमान कार्यालयों / शाखाओं के विलय आदि के कारण स्थिति में ुए परिवर्तन से सं ंधित विवरणियां सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (ैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग) तथा ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस तिमा-ी की समाप्ति के 14 दिन के भीतर ि ाससे व- सं ंधित ै, प्रस्तुत करनी ाि-ए । तिमा-ी के दौरान किसी कार्यालय/ शाखा / एनएआइओ (विस्तार काउन्टरों, अनुषंगी कार्यालयों, एटीएम इत्यादि) खोले ाने / ान्द करने अथवा स्थिति में परिवर्तन -ोने के सं ाध में कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए न -ोने पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग और ग्रामीण आयो ाना और ऋण विभाग के सं ंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को "कुछ न-ीं" विवरणी भे ी ाए ।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सू ी

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं .बीसी.105/03.05.90-ए/ 2006-07	22.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. सं.बीसी. 102/03.05.90-ए/ 2006-07	15.06.2007	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3.	ग्राआऋवि.आरआरबी.बीएल.ब ीसी.10/03.05.90- ए)/2005-06	13.06.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति को उदार एवं आसान बनाना
4.	ग्राआऋवि.आरआरबी.बीएल. बीसी.57/03.05.33(एफ)/ 2005-06	27.12.2005	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विशेष पैके ा
5.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं . बीएल.बीसी. 10/03.05.90-ए/2005-06	06.07.2005	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी- तिमाही विवरणियाँ प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I और II का संशोधन
6.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी.23 /22.01.001/2000-01	12.9.2000	शाखाओं/विस्तार काउन्टरों का खोला ाना/स्थान परिवर्तन/ पहले लाइसेंस प्राप्त करना
7.	डीबीओडी.बीसी.सं. 127/ 12.05.005/99-2000	30.11.1999	बैंकों द्वारा भारिबैं को प्रस्तुत की ाने वाली विवरणियों को औि ात्य

8.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/98	29.07.1998	ब्लॉक/सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थान परिवर्तन
9.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.1997	शाखा बैंकिंग आंकड़े - मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III का संशोधन
10.	ग्राआऋवि.आरआरबी.सं. बीसी. 111/03.05.65/96-97	22.3.1997	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएँ खोलना
11.	डीबीओडी.सं.बीसी.64/ 22.01.001/95	5.6.1995	हानिवाली शाखाओं की पुर्नस्थापना तथा क्षेग्राबैंकों के शाखा नेटवर्क का औि ात्य